



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/70/2018/एफ.सी. / 423

दिनांक: 19.09.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/ROAD/34116/2018

विषय : जनपद-इलाहाबाद में एन0एच0-2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 186.800 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.418 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक-
पी-146/14-2-2018-800(137)/2018, दिनांक-31.08.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. गूगल इमेज देखने से यह प्रतीत होता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि बंजर एवं पथरीली स्थल पर प्रस्तावित की गई है। अतः वृक्षारोपण की उपयुक्तता हेतु चयनित स्थल की सुस्पष्ट वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कर भेजी जाए अथवा अन्य रोपस्थल पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव भेजा जाए।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद।
3. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-01 लोग निर्माण विभाग, इलाहाबाद।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}